

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2026 राजस्व अपील

1. बुद्धा पुत्र छाज्या जाति माली निवासी अगावली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

( अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 07.01.2026 प्रकरण संख्या 68/2025 उनवानी सरकार बनाम बुद्धा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम )

उपस्थिति : श्री धर्मसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 23.03.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का अगावली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांत ने ग्राम अगावली में खसरा नम्बर 867/852 रकबा 0.30 है0 चरागाह भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व नोटिस जारी किये गये व अप्रार्थी दिनांक 31.12.2025 को न्यायालय में उपस्थित हुआ व उपस्थिति हेतु ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर किये तथा जवाब का समय मांगा। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऑर्डरशीट में गलत तरीके से जवाब पेश नहीं करने का तथ्य अंकित कर उसी रोज पटवारी के बयान लेकर निर्णय हेतु दिनांक 07.01.2026 नियत कर दी तथा अपीलान्त को तीन माह का सिविल कारावास पैसेल्टी से दंडित करने के अवैध आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश दिनांक 07.01.2026 के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्त एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम, उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांत दिनांक 31.12.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था व उपस्थिति हेतु हस्ताक्षर किये थे तथा जवाब का समय चाहा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऑर्डरशीट में जवाब न पेश किया जाना अंकित कर मनमाने तरीके से उसी रोज पटवारी के बयान लेकर दिनांक 7.1.2026 को निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक है। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पीड़ित पक्ष को पूर्ण जवाब व सबूत का अवसर दिया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत न होते हुए भी अपीलांत को सजा करने में कानूनी गलती की है। अपीलांत ने किसी भी चरागाह भूमि पर न तो अतिक्रमण किया है और न ही काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान भी प्रार्थी के सामने नहीं हुए और न ही अपीलांत को जिरह का मौका दिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 7.1.2026 को निरस्त फरमावें। अपीलांत की ओर से प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं होने तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।



*(Handwritten Signature)*

अति. जिला कलक्टर  
दौसा

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने संवत् 2082 में प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 867/852 रकबा 61.64 है० में से 0.30 है० किस्म चरागाह पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का अगावली द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस तामील प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था। अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा संवत् 2081 में भी अतिक्रमण किया गया था। अपीलान्त द्वारा संवत् 2082 में पुनः अतिक्रमण कर लिया। जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा व लगान का 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 7.1.2026 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया तथा पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्त द्वारा प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं होने तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.1.2026 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।



निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
( अरविन्द शर्मा )

अति० जिला कलेक्टर ,दौसा

  
( अरविन्द शर्मा )

अति० जिला कलेक्टर ,दौसा